

राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं एक अध्ययन

Rahul Detha

भारत में 74 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि पूरी तरह से महिलाओं पर आश्रित है। एक तिहाई से अधिक खेत मजदूर और आगे से अधिक किसानों में महिलाएं हैं राजस्थान (राज्य) की कुल जनसंख्या का 76.6 प्रयासमा वृद्धि एवं उससे कार्यों पर निर्भर करता है इसी राज्य का एक पागीण जिला है कुल जनसंख्या 12,22,755 है। पुरुष जनसंख्य 6,330 5,510 है। संख्या 968501 साक्षरता दर प्रति जिसमे ग्रामीण महिला साक्षरता पर 47.75 प्रतिशत है। ग्रामीण पुरुष 70.36 कारण ग्राम क्षेत्रों की महिला अपने अधिकारी प्रतिमही सहारा की दर का कम होना ही ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या से अनेक समस्याओं का जन्म होता है, जिले में ग्रामीण सीमान्त श्रमिकों की कुल जनसंख्या 1,77,501 है, जिसमे पुरुष सीमान्त श्रमिकों की संख्या 59.106 हैं और महिला सीमान्त श्रमिकों की संख्या 1,18,455 है महिला सीमान्त श्रमिकों की संख्या भी पुरुष सीमान्त श्रमिकों से अधिक है, ग्रामीण सीमान्त कृषि श्रमिकों की जनसंख्या 1,05,336 है पुरुष सीमान्त कृषि श्रमिक 33860 महिला सीमान्त कृषि श्रमिक 71,476 है। बिना काम (गैर काम करने वालों की जनसंख्या 500467 है जिसमें पुरुष 238081 महिलायें 262383 है कृषि क्षेत्र में भी देखा जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही अधिक काम करती नजर आती है। इतना श्रम करने के उपरांत भी उनकी अनेक समस्यायें हैं। गांवों में करीब 89.50 प्रतिशत महिलाएं कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं।¹

कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि फसल उत्पादन की सबसे पहले खोज महिलाओं ने ही की थी। इसके बाद ही कृषि क्षेत्र में कला और विज्ञान का आगमन हुआ महिला जननी होती है, अन्नदाता होती है तो अपने परिवार कि क्षुधा शांत करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। महिलाओं के कारण ही ग्रामीण संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा समय हो सकी है। गांवों में करीब 30 प्रतिशत परिवार पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर है। इन महिलाओं पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। खेतों में काम करना महिलाओं की मजबूरी है। करीब 90 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं अकुशल मजदूर हैं क्योंकि उनके सामने कुशलता हासिल करने के अवसर ही नहीं हैं, अगर अवसर मिलते भी हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि उन अवसरों का लाभ उठा सकें। इससे उनकी समस्या हल नहीं हो पाती है।

पेइचिंग में 1905 में हुए चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में महिलाओं की स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई थी। उसमें भी कहा गया था कि महिलाओं की अलग-अलग क्षेत्रों और इलाको में अलग-अलग समस्याएं हैं। महिलाओं की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है। महिलाओं के विरुद्ध सर्व भेदभाव समापन समझौता इसे संक्षेप में ब्वॉ कहा गया है, जिसका पूरा अर्थ **Convention on Eliemation of all Discrimination Against Woman**] इसमें यह स्वीकार किया गया है कि सम्पूर्ण विकास दुनिया की भलाई एवं शांति के लिए जरूरी है कि महिलायों की सहभागिता पुरुषों के बराबर हो।²

ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याएं हैं आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली और सह अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी पोषण मेरोजगारी से अनेक समस्याओं का जन्म होता है और महिलाएं समस्याओं के जाल में फसती चली जाती है। महिलाओं को समाज में उचित स्थान और सुविधायें नहीं मिल पाती है। उनमें

जनचेतना का अभाव है। कानून और सुविधाएं महिलाओं के लिए है लेकिन उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत न होगा कि उन्हें जानकारी देने की कोई कोशिश की ही नहीं गयी है। ग्रामीण महिलाओं में भी हर भौगोलिक क्षेत्र की महिलाओं की अलग अलग समस्याएं है। सड़क, बिजली और पानी की सुविधा जिन गांवों में उपलब्ध है वहां की महिलाओं की अपेक्षा इन सुविधाओं से वंचित गांवों की महिलाओं की समस्या कहीं अधिक है। रेगिस्तानी इलाकों आदिवासी और पहाड़ी इलाकों की महिलाओं की समस्याएं भी एक जैसी नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी सदियों पुरानी ही बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए गांव की अशिक्षित स्त्री प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कार्य करती है और वर्ष में औसतन 310 दिन तो कार्य करती ही है। लकड़ी काटकर जलावन लाना, पशुओं के लिए घास चारा काटकर लाना, कुए, बावडी, तालाब आदि से पीने नहाने के लिए पानी लाना ये सब आदि कार्य स्त्री ही करती है। घर की आवश्यकता के अनुसार रखकर बाकी बेचकर पैसे या अनाज आदि भी स्त्री उपार्जित करती है। तकनीक बदल जाने पर (एक सर्वेक्षण के अनुसार) एक हेक्टेयर फार्म पर एक वर्ष में बैलों की एक छोटी 1064 पार्ट पुरुषकर्म 1202 दृष्टि घंटे और स्त्री कमी 3585 घंटे (निराई, सिंचाई, निकालना खाद डालना, ना खाना फटकन आदि काम है। परोक्ष है क्योंकि इस श्रम की आय या तो पुरुष ले लेता है या उसके बदले स्त्री का अनाज कपड़े ही मिलते है। स्त्री के इस अम का प्रतिदान या मूल्यांकन या तो है ही नहीं या नगण्य है।

“Presently, the Women Produce More than 50 percent of the worlds food supply] account for morethen 60 Percent work force] and Contribute upto 30 percent of official Labour force but receive only 10 percent of the world economy and more Surprisingly own Less than one percent of worlds real estate.”

असंगठित क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति बहुत शोचनीय है। अशिक्षा, अज्ञान, अयोग्यता, काम की अस्थायी प्रकृति, कार्यस्थल पर सुविधाएं न होना, सहकर्मियों या मालिक का दुर्व्यवहार, भविष्य में काम की गारंटी न होना, कम पैशन, टुकड़े-दुगाड़े में वेतन मिलना, दलालों, ठेकेदारों आदि के द्वारा आर्थिक तथा यौन शोषण आदि कारणों से असंगठित क्षेत्री (तम्बाकू, माचिस, मकान निर्माण में मजदूरी, पेय पदार्थ, कपडा रंगाई, हैण्डलूम बुनाई आदि) की स्त्रिया निरन्तर कुपोषित तथा रोगी रहती है किन्तु परियार को संभाले रखने का दबाव उन्हें इतनी दुर्गति पूर्ण परिस्थितियों में अनेक लम्बे घण्टों तक कार्य करते रहने को विवश बना देता है। इसी विवशता के कारण ये कोई प्रतिकार नहीं करती।³ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कोई रोजगार नहीं होने से पुरुष रोजगार की खोज में शहरों की तरफ पलायन कर जाते है तब परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। पानी के लिए मीलों दूर जाना, लकड़ी और घास के लिए निकलना और फिर खेती में समय लगाना, ग्रामीण महिलाओं की नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। इन सबके साथ परिवार के लिए दो-तीन समय का खाना बनाना और बर्तन साजना, दुधारू पशुओं का दूध निकालना भी उसकी ही जिम्मेदारी है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों हमें महिलाएं काम न करें तो पुरुषों को भूखा मरना पड़ेगा। यह शाश्वत सत्य है। पुरुषों के पास हाथ बटाने के लिए समय नहीं होता हालांकि वे कोई काम नहीं करते है। उनका सारा समय गप्पे मारना, ताश खेलने, सोने में चला जाता है।

बारां जिले की एक तहसील किशनगंज है जिसमें आदिवासी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है इस क्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण है शराब खोरी। इस शराब खोरी की वजह से महिलाओं को

अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। हर पारिवारिक और सामाजिक समारोह में वहां शराबखोरी का प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि कभी-कभी लगता है जैसे यहां का राष्ट्रीय पेय ही यहीं है। राज्य सरकार द्वारा उनके आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। पर वह सभी गौण की नजर आती हैं। इन आदिवासी महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी सरकार सचेत है। इस क्षेत्र में माताओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण यह कमजोर हो गई है। जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो यह भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, इस कारण अनेक बच्चों की मृत्यु भी हो रही है। इस क्षेत्र में महिलाएं शराब विरोधी आंदोलन भी चला रही हैं। जिसमें उन्हें अच्छी सफलता भी मिली है। यह महिलाओं की जागरूकता से ही संभव हो पाया है।

ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी है, ये गरीब हैं, इसलिए शिक्षा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। उनकी प्राथमिकता में परिवार का भरण-पोषण है। उनकी तो समस्याएं हैं उन्हें समस्याएं ही नहीं मानती, विपन्नता में भी वे खुश रहती हैं। पग-पग पर आर्थिक अभावों, मानसिक परेशानियों, कुपोषण और बीमारी से उनका सामना होता है। गर्भावस्था के अन्तिम दिनों तक काम करना उनकी मजबूरी है और फिर बच्चा होने के कुछ ही दिन बाद उनका वहीं जीवन फिर शुरू हो जाता है। अगर परिवार में अकेली महिला है तो उनके लिए और भी अधिक कष्टपूर्ण जीवन है। आदिवासी क्षेत्र में पाने वाली महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि 18 घंटे पद आराम उनके लिए जीवन भर का अलिखित समझौता है। सुबह के अंधेरे से उनका दिन शुरू हो जाता है और रात के अरे तक चलता रहता है। उजाले के बीच अपने जीवन के में सोचने का भी समय नहीं निकाल पाती है।

ग्रामीण महिलाएं बरसात के दिनों में पानी में खेतों में धनपती हैं। कीटनाशकों की निराई-गुराई करती हैं हरफकी अलग समस्याएं हैं। हर फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक महिलाओं को अलग-अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। खेती योग्य जमीन होते हुए भी उन्हें भगवान के भरोसे रहना पड़ता है। क्योंकि पूरी खेती ही वर्षों पर निर्भर करती है। पहाड़ी क्षेत्रों की खेतीयां भी सबसे जटिल होती हैं। जहां सालभर दिन रात मेहनत करने के बाद भी चार-पाच महिने से अधिक के लिए अनाज नहीं हो पाता है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाओं से वंचित हैं उनमें बाल एवं मातृ कल्याण सेवाएं सिरे से ही गायब हैं। प्रसव के लिए महिलाओं को अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिये लेकिन सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का कहीं कोई अता-पता नहीं है। अगर कोई व्यवस्था भी हो तो यहां समय पर कोई नर्स, चिकित्सक नहीं मिलते हैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक, नर्स जाना भी पसन्द नहीं करते। उनकी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर की भी जाती है तो नाम मात्र की जिससे उनके कार्य करने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं आता है। सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आखिर अप्रशिक्षित दाईयों की शरण में जाना पड़ता है। अगर अनादी अनुभवहीन दाई हो सो ऐसे में प्रसूता और नवजात शिशु की जान पर बन जाती है। सकुशल प्रसव हो जाए सी इसे भगवान की कृपा माना जाता है। इसके बावजूद तरह से बच्चे के विकलांग होने या फिर प्रसूता महिला एवं बच्चे के किसी न किसी बीमारी का शिकार होने का खतरा बना रहता है। गायों में जहां मातृ शिशु कल्याण की सुविधाएं मीलों दूर तक नहीं हैं, वहां सबसे अधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में ही प्रसव होता है। प्रसव पीड़ा से ग्रस्त महिलाओं को घर की गोठ (सबसे निचली मंजिल के अंधेरे कमरे) या गौशाला में पहुंचा दिया जाता है, जहां पशु भी बचे होते हैं। उसके एक कोने को लेबर रूम में बदल दिया जाता है और गांव की दाई को बुलवाकर प्रसव कराया जाता है। शहरों में जहां प्रसूता को तरह-तरह का पौष्टिक आहार दिया जाता है यहां इन ग्रामीण क्षेत्रों में बिना दूध की चाय दी जाती है। दूध की चाय देने का मतलब है प्रसूता के गले में खफ जम जाना, इस अधविश्वास से सैकड़ों गांव आज भी मुक्त नहीं हो पाये हैं।

वास्तव में सोचने की बात है कि जब प्रसूता को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो मा और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जायेंगे। यहीं गांवों में हो रहा है और अभावग्रस्त परिवार इसके सर्वाधिक शिकार होते हैं। ऐसे गांवों में पोलियो एवं अन्य बाल रोगों से बच्चे का कैसे बचाव हो सकता है जहां अस्वास्थ्यकर वातावरण में बच्चे को जन्म देना पड़ता हो। इसके बाद जाड़ा हो या बरसात खुले में नहाना भी प्रसूता की मजबूरी बन जाती है क्योंकि बंद कमरे में नहाने पर पाबंदी होती है। इससे भी तरह-तरह की बिमारियों का खतरा उसके आस-पोस मंडराता रहता है।⁴

जिन घरों में गौशाला न हो या केवल एक ही कमरा हो उन घरों की गर्भवती महिलाओं की स्थिति तो और अधिक दयनीय होती है। उनके सामने काम के अलावा कुछ और होता ही नहीं इसलिए कई बार ऐसी गर्भवती महिलाएं काम करते हुए खेतों में या घांस लकड़ी लाते जंगल में प्रसव पीड़ा होने पर वही बच्चे को जन्म दे देती है। कई बार तो एकदम अकेली होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूता महिला को बच्चे के नामकरण तक दो सप्ताह तक अलग रखा जाता है, उसे कोई छू नहीं सकता क्योंकि छूत लगने का अंधविश्वास है। जब तक वह प्रसूता 22 दिन की नहीं हो जाती, तब तक प्रसूता को अछूत माना जाता है। बच्चे के जन्म के बाद से 21 दिनों तक प्रसूता चूल्हे तक नहीं जा सकती, 22वें दिन के बाद पूर्णतः शुद्धि के लिए पाठ में हवन के बाद ही प्रसूता को शुद्ध माना जाता है। यह है भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति।

बाल-विवाह आज भी ग्रामीण समाज में सबसे बड़ा अभिशाप है भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात अब प्रति हजार पर 943 है। वर्तमान में यह स्थिति और विषय होती ही है। राजस्थान राज्य में तो यह स्थिति और गंभीर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं हैं, बारा जिले में 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं, लेकिन मातृ मृत्यु दर में अभी भी उतनी कमी नहीं हो पाई है जितनी अपेक्षा की जाती है। आंकड़ों से पता चलता है 20 – 24 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने से भी पहले ही हो जाता है। इनमें सर्वाधिक विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं। कम उम्र में विवाह होने से नवजात शिशु की जान को तो खतरा होता ही है। इससे प्रजनन दर भी बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। वे परिवार नियोजन के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों से भी अनजान रहती हैं।

गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी के कारण ही अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को बेचने की घटनाएं भी प्रकाश में आयी हैं। ग्रामीण महिलाओं की एक विकट समस्या है शौचालय की उन्हें खुले में शौचादि के लिए जाना पड़ता है इसके लिए सुबह या रात के अंधेरे में ही ये निकल पाती हैं क्योंकि घर में शौचालय नहीं होता। अंधेरे में जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। कभी-कभी इस रात के अंधेरे में महिलाओं को दुष्कर्म का शिकार भी होना पड़ जाता है। शहरी गांवों में धीरे-धीरे सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी गान समय में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए पंचायत चुनावों में भी वही पुरुष – महिला चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घरों में शौचालय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का पहला हमला महिलाओं पर ही होता है। जब कहीं हिंसा होती है तो उसका शिकार महिलाएं ही होती हैं, जब कहीं युद्ध होता है तो उसकी पीड़ा भी महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। इन मान्यताओं कुरीतियों को समाप्त कर ही महिलाओं का उत्थान किया जा सकता है।

अतः समाज-सुधारकों, राजनीतिज्ञों, मानवप्रेमियों के लिए आवश्यक है कि इस दिशा में अथक प्रयास करके महिला मुक्ति से जुड़े सभी प्रकार के अधिकारों को साकार बनाने में सहयोग दे चूंकि महिलाओं पर अनेक प्रकार के घरेलू बोझ लदे रहते हैं। अतः इस घरेलू बन्धनों को समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाये जाने आवश्यक है। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण, लिंग के आधार पर अनावश्यक, उत्पीड़न, बलात्कार और अन्य पीठाओं से मुक्ति दिलाना बेहद आवश्यक है। ऐसा करके महिला की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जा सकता है।

हर प्रबुद्ध विचारक को यह मानना चाहिए कि शिक्षा केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है बल्कि यह महत्व उदारता स्थापित करने वाला तत्व है। महिलाओं को उचित रूप से दी गई विश्वासी और का करेगी एवं सम्पूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व विकास पर जोर देंगी एवं उनकी क्षमता एवं चरित्र में इस तरह से बदलाव लायेगी ताकि यह राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें।

जहां-जहां विकास के परिणामस्वरूप इस दिशा में प्रगति हुई है यहां नारी समर्थक व नारी अधिकारों की वकालत का दृष्टिकोण सर्वथा सार्थक लगता है। इसी में यह देखना जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के लिए जो स्थान सुरक्षित किये गये हैं। उससे बहुत सारी महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकलकर सार्वजनिक जीवन में आगे आने का सार्वजनिक क्षेत्र में मौका मिला है।⁷

राजस्थान ही देश का पहला राज्य है जिसमें 1984 महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी।

1. महिला विकास कार्यक्रम के उद्देश्य ये हैं:

- महिलाओं को उनके राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- महिलाओं को शिक्षा, उप शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य और नियोजन आदि के बराबर अवसर उपलब्ध कराना।
- महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीति के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराने हेतु वातावरण तैयार करना।

2. पांच सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम :-

- बालिकाओं में शिशु-विवाह की पूर्ण समाप्ति।
- हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना।
- सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।
- कक्षा 10 तक शत-प्रतिशत बालिकाओं का ठहराव।

3 जिला महिला सहायता समिति :-

शोषित और उत्पीडित महिलाओं को अविलम्ब सहायता देने, उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन देने एवं शोषण के प्रकरणों का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महिला समिति गठित है।

4 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम:-

महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण दिए जाने वाले उन्हें तुरन्त व आपातकाल में राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम 2006 से पूरे देश में 26 अक्टूबर से प्रभावी किए गए है।

5 जननी सुरक्षा योजना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण महिला को प्रसव के समय अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलवाने में आशा सहयोगिनियां मदद करती है।

6. मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना:-

राज्य में बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की घोषणा की गई है।

7. किशोरी शक्ति योजना:-

भारत सरकार द्वारा यह योजना राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण ब्लॉकों में 11 से 18 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली अथवा बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए सभी 274 शहरी एवं ग्रामीण ब्लॉकों में संचालित की जा रही है।

8. महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम:-

राज्य के प्रत्येक जिलों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वर्ष 1997-98 से स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 1,75,034 समूहों का गठन किया जा चुका है।

9. मुख्यमंत्री का सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम:-

महिलाओं के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2009-10 में सात सूत्रीय महिला कार्यक्रम की घोषणा की गई कार्यक्रम के सात सूत्र ये है:-

1. सुरक्षित मातृत्व
2. शिशु मृत्यु दर में कमी लाना
3. जनसंख्या स्थिरीकरण
4. बाल विवाहों की रोकथाम
5. लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक उहराव
6. महिलाओं को सुरक्षा तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना

7. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की देखरेख की जाए।

वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं राज्य सरकार ने चलाई 1994 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संगठित क्षेत्र में स्त्री विषय पर एक सर्वेक्षण कराया था। तदनुसार इस क्षेत्र में ठेकेदारों और दलालों के द्वारा स्त्रीकर्मियों का निरन्तर शोषण होता रहता है। परिवार के अस्तित्व को बनाए या बचाए रखने के लिए स्त्रिया अत्यंत शोचनीय परिस्थितियों में भी लम्बे घण्टों तक कार्य करने के लिए विवश होती है। आर्थिक शोषण के साथ प्रायः उन्हें शारीरिक शोषण भी सहना पड़ता है अब ऐसे संगठित क्षेत्रों में स्त्रियां भी पर्याप्त संख्या में कार्य कर रही हैं किन्तु सदियों से शोषित निर्धन वा अनपढ़ या कम पढ़ी स्त्रियों में अभी भी अपने कानूनी अधिकारों को समझ पाने का समय या चेतना नहीं है अतः सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता है कि कहीं भी कार्य करने से पूर्व अथवा कार्यरत हो जाने पर महिलाएं कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त करें—

समान परिस्थिति में समान कार्य के लिए समान वेतन पाना कानूनी अधिकार है। यदि नियोक्ता ने स्त्री को कम वेतन दिया है तो उस पर खुल कर चर्चा करें और अपने अधिकार पर दृढ़ रहें। अपनी योग्यता एवं कार्य क्षमता पहचान कर कम वेतन लेना अस्वीकार कर देना चाहिए।

कार्य की जितनी भी आवश्यक शर्तें हैं—यथा काम के घण्टे अवकाश की अवधि, छुट्टिया आदि उन सब को भली प्रकार समझ लेना चाहिए जिससे किसी भी भूल—चूक की आड़ लेकर स्त्री को न तो दण्डित किया जा सके और न ही नौकरी से निकाला जा सके।

कार्यस्थल पर स्त्रियों की सुरक्षा के जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उन्हें जानना भी अत्यावश्यक है।⁸ सर्वांगीण विकास हेतु महिला उत्थान नीति 2001 की घोषणा देश में महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबरी की भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रमुख उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति, 2001 की घोषणा की गई और इसमें किए गए प्रधानों को भली—भाति लागू करने का दृढ़ निश्चय भी था किया गया। इस नीति के तहत महिलाओं के समुचित विकास और पर्याप्त संप्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनों के निर्माण करने का आश्वासन भी दिया गया है।⁹ ग्रामीण महिलाओं की अनगिनत समस्यायें हैं। ग्रामीण महिलाओं की समस्या को अलग—अलग भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर हल करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी समस्याओं में समानताएं नहीं हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों की सड़क, आवास, पेयजल, बिजली, रोजगार और शौचालय आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। इनका लागू भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है लेकिन सुदूर के गांवों, पहाड़ी, रेगिस्तानी व बारां जिला जिसमें एक तहसील शाहाबाद है जिसमें सहरिया आदिवासी जाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं। उन तक इन सरकारी योजनाओं का ठीक तरह से विस्तार नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से इन योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है लेकिन जागरूकता के अभाव में इनका लाभ उन तक पूरी से नहीं पहुंच पा रहा है।

73वें संविधान संशोधन विधेयक ने महिलाओं को आरक्षण के अवसर तो प्रदान किये लेकिन आज भी अधिकांश महिला पदाधिकारियों की डोर उनके पतियों के हाथ में है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के हाथ में सत्ता जाने की बात न सोची जा सकती है और न ही सहन की जा सकती है। महिलाओं के

अधिकारों की बात शहरों में नारेबाजी के बीच कही दबकर रह गई है और उससे आम महिलाएँ अधिकार संपन्न नहीं हो पायी है। बल्कि पहले से श्री संत और अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाता है। बड़े शहरों और महानगरों की महिलाएँ ही इसका लाभ उठा पाती हैं जो पहले से ही साधन सम्पन्न हैं (ग्रामीण महिलाएँ अधिकार सम्पन्नता की सोच से भी बहुत दूर हैं क्योंकि अपनी खेती और अपने परिवार के दायरे से बाहर देख पाने का उनके पास समय ही नहीं है।¹⁰

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल कल्याण विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रालय भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रमों को चला रहे हैं। अभावों और परेशानियों की चक्की में पिसती ग्रामीण महिलाओं तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में ही इनकी सार्थकता है।

सन्दर्भ

- जिला सांख्यिकीय रूपरेखा वर्ष 2014 (जिला-मारा) आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जयपुर राजस्थान
- सुभाष : "भारतीय महिलाओं की दशा" आधार प्रकाश पंचकूला, हरियाणा, पेपर बैग संस्करण, 2006 पृष्ठ संख्या 340
- गोयल, डॉ. प्रीति प्रभा भारतीय नारी विकास की और राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, वर्ष 2009, पृष्ठ संख्या 96
- शर्मा, रोमी, भारतीय महिलाएँ नई दिशाएँ, प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली वर्ष 2002 पृष्ठ संख्या 9
- वहीं पृष्ठ संख्या 97
- गाबा, ओ.पी. समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त मयूर पेपर बेक्स, वर्ष 1999 पृष्ठ संख्या 270
- गावा ओ. पी. रीडिंग गांधी नेशनल पब्लिकेशन, वर्ष 2009 पृष्ठ संख्या 101 पूर्व करन गौरी विकास श्री राजस्थानी धार जोधपुर, वर्ष 2009 पृष्ठ संख्या 106
- व्यास मीनाक्षी श्मारी चेतना और सामाजिक विधानः रोशनी पब्लिकेशन, कानपुर 2008 पृष्ठ संख्या 100
- अंसारी एम.ए. महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन, जयपुर, वर्ष 2000 पृष्ठ संख्या 170